

न्यायालय:-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्याया. के द्वि०अति.
न्यायाधीश,श्रृंखला न्यायालय चंदेरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

॥ समक्ष – राजेन्द्र सिंह ठाकुर॥

विशेष सत्र प्रकरण क.-35/2017

संस्थित दिनांक-21.03.2017

रजिस्ट्रेशन नंबर 09/2017

म.प्र.राज्य द्वारा,
आरक्षी केंद्र चंदेरी,
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... अभियोजन

॥ विरुद्ध ॥

इशरार खान पुत्र बलदार खान, उम्र-30 वर्ष,
निवासी-जागेश्वरी मोहल्ला वार्ड नं.01 चंदेरी
थाना-चंदेरी,जिला-अशोकनगर

..... अभियुक्त

—
पुलिस थाना चंदेरी जिला-अशोकनगर के अपराध क-62/2017 अंतर्गत
धारा 376,506 भादवि,3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण
अधिनियम 2012 में दिनांक 21.03.2017 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के
आधार पर उदभूत।

—
अभियोजन की ओर से :- श्री मुकेश राजपूत अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्त की ओर से :- श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता।

—
—:: आदेश ::—

(धारा 232 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत)

(आज दिनांक 25.04.2018 को घोषित किया गया)

1. उक्त अभियुक्त को भादवि की धारा 376,506 एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध में अभियोजित किया गया है।
2. प्रकरण में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नहीं है।
3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.02.

2017 को अभियोक्त्री रूबाना पुत्री शमीमउद्दीन शेख उम्र-13 साल निवासी-जोगेश्वरी मोहल्ला चंदेरी ने अपनी मां रूकसाना तथा बड़ी बहन रिजबाना के साथ थाना आकर जुबानी रिपोर्ट की, कि कल शाम पांच बजे की बात है। अभियोक्त्री को पड़ोस के आरोपी इसरार मुसलमान ने उसे अपने घर बुलाया, उसकी पत्नि अस्पताल गई थी। आरोपी घर पर अकेला था आरोपी ने अभियोक्त्री की बुरी नियत से सलवार कुर्ती उतरवा कर उसे पलंग पर लिटा कर बुरा काम किया बोला कि 100/-रूपये ले जाओ, उसे मां से बोलने के लिये मना किया। जब अभियोक्त्री घर गई तो उसकी मां ने पूछा ये पैसे कहां से आये तब उसने सारी बात मां को बताई थी। आरोपी इसरार उसे कई बार अपने घर बुलाता था और गलत काम करता था और बोलता था कि किसी को नहीं बताना। अगर बताएगी तो अभियोक्त्री को जान से मारकर फेंक देने की धमकी देकर बलात्कार किया।

4. इस पर पुलिस थाना चंदेरी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र-62/2017 अंतर्गत धारा 376,506 भादवि एवं धारा 3/4 एवं 5 (ठ)6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध कायम किया गया। अनुसंधान के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। उसकी उम्र-के संबंध में अंकसूची प्रस्तुत की गई है अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र दिनांक 21.03.2017 को प्रस्तुत किया है।

5. अभियुक्त पर पद क्र-01 के अनुसार आरोप लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया विचारण चाहा। बचाव में रंजिशन झूठा फंसाया जाना बताया है। बचाव ने कोई साक्षी को परिक्षित नहीं कराया है।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

01.	क्या, आरोपी इशरार ने दिनांक 18.02.17 को समय 17:00 बजे जोगेश्वरी मोहल्ला की अभियोक्त्री को अपने घर बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संभोग कर बलात्संग किया?
02	क्या उसी समय आरोपी इशरार ने अभियोक्त्री को घटना के बारे में अन्य किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?
03	क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियोक्त्री जिसकी उम्र-13 वर्ष थी बालिका को जब वह घर पर अकेली थी घर पर बुलाकर आपराधिक बल का प्रयोग लैंगिक हमला कर बलात्संग कर बलात्कार किया, जो 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है?

विचारणीय प्रश्न क्र-1,2,3 की विवेचना एवं निष्कर्ष:-

6. उपरोक्त सभी विचारणीय बिंदू एक ही घटना, एक ही समय में होने के कारण एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को देखते हुए साक्ष्य पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से विवेचना एवं निष्कर्ष एक साथ किये जा रहे हैं।

7. उपरोक्त विचारणीय बिंदु को प्रमाणित किए जाने हेतु अभियोक्त्री की बहन रिजबानो अ.सा-01 ने घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया है। अभियोक्त्री अ.सा-02 ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है, इस साक्षी ने बताया है कि उसकी मम्मी की लड़ाई इशरार के परिवार वालों से और इशरार से हो गई थी, इसलिए उसकी मां द्वारा रिपोर्ट करना बताती है। पुलिस को प्र.पी04 का कथन देने से इंकार करती है। प्रतिपरीक्षण ने इस साक्षी ने इशरार को दूल्हा भाई भी होना बताया है। जमीला अ.सा-03 ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। पुलिस को पुलिस कथन देने से इंकार करते हुए। घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। अभियोजन ने इस संबंध में अन्य किसी चश्मदीक साक्षी को परिक्षित नहीं कराया है। रुकसाना अ.सा-05 जो कि अभियोक्त्री की माता है, ने भी आरोपी इशरार से विवाद होने के कारण थाने पर रिपोर्ट करना बताया है आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के साथ घटना कारित किये जाने के तथ्य से इंकार किया। इस प्रकार ये साक्षीगण फरियादी सहित घटना का समर्थन नहीं करते हैं।

8. फैविदा खानं अ.सा-04 जो प्रकरण की विवेचक है ने विवेचना के दौरान की गई कार्यवाहियों को प्रदर्शित किया है। प्रतिपरीक्षण में अपने मन से कथन लेखबद्ध किये जाने के तथ्य से इंकार करते हुए विवेचना के दौरान की गई कार्यवाहियों को प्रदर्शित किया।

9. प्रकरण में अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में अंकसूची अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है एवं भर्ती रजिस्टर एवं प्रधान अध्यापक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं, परंतु उस संबंध में हुई साक्ष्य से उक्त दस्तावेजों को प्रदर्शित एवं प्रमाणित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर कोई सहायता अभियोक्त्री एवं उसके माता के कथन को देखते हुए नहीं मिलती है। प्रकरण में कोई ऑफिसीफिकेशन टेक्ट भी नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री की उम्र घटना दिनांक को 18 वर्ष से कम होना भी प्रमाणित नहीं है।

10. उपरोक्त अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को देखते हुए धारा 232 द. प्रसं. के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत घटना का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण एवं अभियोक्त्री द्वारा न किये जाने से साक्ष्य के अभाव में आरोपी इशरार पुत्र बलदार खानं के विरुद्ध धारा 376,506 भादवि एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

11. प्रकरण में जप्तसुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् या अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेशाधीन नष्ट की जावे।

12. आरोपी के जमानत मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

आदेश आज दिनांक को खुले
न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया
गया।

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥
प्र.अ. सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के
द्वि.अति.न्यायाधीश, श्रृंखला न्याया.चंदेरी
जिला—अशोकनगर

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥
प्र.अ.सत्र न्यायाधीश के,न्यायालय के
द्वि.अति.न्यायाधीश, श्रृंखला न्याया.चंदेरी
जिला—अशोकनगर